न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2018 **दायर दिनांक —11.04.2018**

उनवान

1. धनराज उम्र 55 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी कंसुआ कोटा निवासी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. देवकरण उम्र 50 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी आटोन।
3. कन्हैयालाल उम्र 42 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल उम्र 85 वर्ष धुलीलाल जाति नायक निवासी आटोन
2. भोजराज उम्र 45 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

निर्णय दिनांक 25/03/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का इस आश्य का पेश किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी—पूरी आशा है। प्रार्थी कम 1 लगायत 3 तथा अप्रार्थी कम 2 सगे भाई है तथा प्रार्थी कम 1 लगायत 3 एवं अप्रार्थी कम 2 का अप्रार्थी कम 1 भंवरलाल पिता है। वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां में अप्रार्थी कम 1 के स्वामित्व की आराजीयात खाता संख्या 406 का ख0नं0 555 का रकबा 0.83 है0 , ख0नं0 559 का रकबा 1.58 है0 ,ख0नं0 1103 का रकबा 0.03 है0 , ख0नं0 1104 का रकबा 0.24 है0 ,ख0नं0 1287 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल [illegible] 2.69 है0 स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी की फोटो प्रति पेश है जो [illegible] है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में वर्णित आराजीयात कुल किता 5 का कुल रकबा 2.69 है0 [illegible] पूर्वजों के स्वर्गवास के बाद में अप्रार्थी कम 1 भंवरलाल के खाते दर्ज हुई है जो अप्रार्थी [illegible] को विरासत में प्राप्त हुई है इस वजह से उक्त आराजी पुश्तैनी जायदाद है। अप्रार्थी कम 1 भंवरलाल के खाते की आराजीयात पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 2 के जन्म से ही हक अधिकार पैदा हो गये है लेकिन उक्त पैतृक संपत्ति आराजीयात अप्रार्थी कम 1 के खाते में चली आ रही है जिसका बंटवारा अप्रार्थी कम 1 द्वारा गलत तरीके से कर रखा है। प्रार्थीगण को तो कुल 1.45 है0 आराजी अर्थात कुल 9 बीघा जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:59 IST
Reason: Self Attested

दे रखी है शैष रकबा 1.24 है0 अप्रार्थीगण ने अपने पास में रख रखी है। अप्रार्थीगण दोनों शामिल में रहते है जिन्होनें प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयाता बैंक के रहन रखकर ऋण भी ले रखा है और अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीगण के खिलाफ गुजारा भत्ता राशि प्राप्त करने के लिये माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय अटरू के न्यायालय में कार्यवाही भी कर रखी है। और अप्रार्थी क्रम 1 आये दिन प्रार्थीगण को फसल कटने के बाद में खेत खाली होने पर आराजी बेचने की धमकी दे रहा है। उक्त आश्य की धमकी दिनांक 12.03.18 को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी क्रम 3 को दी तथा अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थी क्रम 1 को बहला फुसलाकर प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में वर्णित आराजी को बिकवाने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है अगर अप्रार्थी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया और प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त अधिकारों से वंचित हो जावेगे जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा प्रार्थीगण को अनेकोनेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 को ताफैसला मूलवाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि अप्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी क्रम 2 के बहकावे में आकर प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे वर्णित पैतृक आराजी सम्पत्ति को खुर्द बुर्द , रहन बेचान दान नहीं करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने की वजह से सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 को ताफैसला मूलवाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह अप्रार्थी क्रम 2 के बहकावे में आकर प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में वर्णित पैतृक आराजी संपत्ति को खुर्द बुर्द, दान नही करें। वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा [illegible] किया गया कि ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां में अप्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व की आराजीयात खाता संख्या 406 का ख0नं0 555 का रकबा 0.83 है0 , ख0नं0 559 का रकबा [illegible] है0 ,ख0नं0 1103 का रकबा 0.03 है0 , ख0नं0 1104 का रकबा 0.24 है0 ,ख0नं0 128 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.69 है0 जो अप्रार्थी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 2 का जन्म से अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम आटोन में अप्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व की आराजीयात खाता संख्या 406 का ख0नं0 555 का रकबा 0.83 है0 , ख0नं0 559 का रकबा 1.58 है0 ,ख0नं0 1103 का रकबा 0.03 है0 , ख0नं0 1104 का रकबा 0.24 है0 ,ख0नं0 1287 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.69 है0 भूमि खाता दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 1 के प्रार्थीगण 1 लगायत 3 व अप्रार्थी क्रम 2 पुत्र है। जिनका पैतृक संपत्ति में हिस्सा निहित है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी श्रीमती मानकुंवर बनाम राज्य सरकार 1978 आर.आर.डी. 875 तथा देवीलाल बनाम श्रीमती फत्तूबाई 1981 आर.आर. डी. 512 में भी पैतृक सम्पत्ति में पुत्री को जन्म से अधिकार की व्यवस्था को निर्धारित किया है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द करने हेतु आमादा है। आराजीयात को खुर्द बुर्द, बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त अधिकारों से वंचित हो जायेंगें।

अतः न्यायहित में अप्रार्थीगण क्रम 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन खाता संख्या 406 का ख0नं0 555 का रकबा 0.83 है0 , ख0नं0 559 का रकबा 1.58 है0 ,ख0नं0 1103 का रकबा 0.03 है0 , ख0नं0 1104 का रकबा 0.24 है0 ,ख0नं0 1287 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.69 है0 को रहन बेचान खुर्द बुर्द दान नही करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:59 IST
Reason: SelfAttested